इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019

एफ-35-169-2017-दो-सी-एक्स.—चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का परिवहन करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है और चूंकि उसके संबंध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा. अतएव भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रं. एस.ओ. 1285 दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "प्रतिबंधित स्थान" घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि, इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की स्थानीय भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी:—

अनुसूची

क्रमांक	स्थान	पता	प्रतिबंधित क्षैत्र की चर्तुसीमा
01	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमि0 गैस पाईप लाईन, ग्राम चौभरा जयकरणसिंह, तहसील, रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमि0 गैस पाईप लाईन, ग्राम चौभरा जयकरणसिंह, तहसील, रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0) (गैस पाईप लाईन)–MLV-6)	**पूर्व में** – हत्था–सिकरगंज, मार्ग । **पश्चिम में** – सर्वे नं0 144–145/1 की निजी भूमि । **उत्तर में** – सर्वे नं0 147, शासकीय ग्रामीण मार्ग । **दक्षिण में** – सर्वे नं0 146/1 की निजी भूमि ।

F-35-169-2017-2-CX-.—WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Natural Gas Pipeline Transportation-a work for a purpose of a public character, AND WHEREAS any information with respect thereto, on the destruction or obstruction thereof or interference therewith, would be useful to an enemy. NOW THEREFORE, In exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification no. S. O. 1285 dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to the "Prohibited Places" for the purpose of the said Act and to direct that a copy of this notification in English and in the local language be affixed to the said premises:—

SCHEDULE

S.No.	PLACE	LOCATION	DESCRIPTION OF THE BOUNDARIES OF THE PROHIBITED PLACE
01	Reliance Industries Limited, Chobhara Jaykaran Singh, Teh. Rampur Naikin, Distt. Sidhi (M.P.)	Reliance Industries Limited, Chobhara Jaykaran Singh, Teh. Rampur Naikin, Distt. Sidhi (M.P.) (गैस पाईप लाईन)–MLV-6)	**East-** Hattha-Sikargank Road. **West-** Survey No. 144-145/1 Private land. **North-** Survey No. 147 Govt. land Village Road. **South-** Survey No. 146/1 Private land.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद शाहिद अबसार, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.